न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:—0744—2325871

GCMS NO.-2023/69
मिसल नम्बर— 17/2023

1.आत्मा देवी आयु 81 वर्ष पत्नी स्व0 श्री हासानन्द भाटिया, जाति सिन्धी निवासी — 37 सी, न्यू आकाशवाणी कोलोनी, राजेन्द्र विहार, चकीबड़ बालाजी के पास, कोटा राज0

प्रार्थीया।

बनाम

1.कनिका भाटिया आयु 49 वर्ष पत्नी स्व0 श्री सुरेन्द्र भाटिया जाति सिन्धी निवासी — 37 सी, न्यू आकाशवाणी कोलोनी, राजेन्द्र विहार, चकीबड़ बालाजी के पास, कोटा राज0
2.गगन भाटिया आयु 29 वर्ष पुत्र स्व0 श्री सुरेन्द्र भाटिया जाति सिन्धी निवासी — 37 सी, न्यू आकाशवाणी कोलोनी, राजेन्द्र विहार, चकीबड़ बालाजी के पास, कोटा राज0
3.हर्षिता भाटिया आयु 24 वर्ष पुत्री स्व0 श्री सुरेन्द्र भाटिया जाति सिन्धी निवासी — 37 सी, न्यू आकाशवाणी कोलोनी, राजेन्द्र विहार, चकीबड़ बालाजी के पास, कोटा राज0

अप्रार्थीगण।

—:निर्णय:—

(भरण—पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना—पत्र।)

दिनांक 13/10/25

उपस्थिति:—

1.श्रीमती प्रार्थीया स्वयं उप0।
2.श्री बलभ्रद बुलिया अप्रार्थीगण अधिवक्ता।

भरण—पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया 81 वर्षीय वृद्ध एवं विधवा महिला है। अप्रार्थी कम— 1, 2 व 3, प्रार्थीया के मृतक पुत्र सुरेन्द्र भाटिया की पत्नी, पुत्र व पुत्री हैं। एवं प्रार्थीया के पुत्रवधू, पौत्र व पौत्री है। प्रार्थीया के पति स्व. हासानन्द भाटिया का एक मकान भूखण्ड संख्या— 37—सी, पैमाईशी— 33 गुणा 100 वर्गफुट वाके— राजेन्द्र विहार, न्यू आकाशवाणी कोलोनी, कोटा में स्थित है। प्रार्थीया के पति स्व. हासानन्द भाटिया का दिनांक— 03.05.2017 को इन्तकाल हो गया हैं, तथा प्रार्थीया के पुत्र सुरेन्द्र भाटिया का दिनांक— 27.07.2021 को इन्तकाल हो गया है। प्रार्थीया

न्यायालय उपखण्ड * कोटा *

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

की तीन पुत्रियॉ रेखा भाटिया, कविता उर्फ विघा भाटिया एवं रूकम्णी गांधी हैं। प्रार्थीया व उसके पति ने उनके जीवनकाल में तीनो पूत्रियों का विवाह कर दिया, लेकिन उनका निरन्तर आना–जाना हैं। प्रार्थी के पति के इन्तकाल के पश्चात् अप्रार्थीगण प्रार्थीया के साथ लगातार शारीरिक, मानसिक यातनायें व कुरतापूर्ण व्यवहार करते आ रहे हैं, यहाँ तक कि प्रार्थीया का पूत्र सुरेन्द्र भाटिया जीवित था, उसके जीवनकाल में भी अप्रार्थीगण प्रार्थीया के पति की मृत्यु के पश्चात् उक्त मकान को हडपने की नियत से बेदखल करने हतु प्रयासरत रहे हैं, अप्रार्थीगण प्रार्थीया के पुत्र सुरेन्द्र भाटिया के साथ भी कुरतापूर्ण व्यवहार करते थे, इस कारण प्रार्थीया का पुत्र भी उनके जीवनकाल में अप्रार्थीगण के उक्त कृत्य को नही रोक पाता था। प्रार्थीया के पति की मृत्यु के पश्चात् प्रार्थीया, अप्रार्थीगण के उक्त क्रुरतापूर्ण व्यवहार, गाली – गलोच, जान से मारने की धमकी के कारण प्रार्थीया समय – समय पर अपनी पुत्रियों के साथ निवास करती रही, और उक्त मकान में भी आती– जाती रही, लेकिन जब भी प्रार्थीया उक्त मकान में आती हैं, अप्रारथीगण प्रार्थीया के साथ लडाई झगडा, गाली – गलोच करते हैं, और दबाव बनाते है के प्रार्थीया उक्त मकान अप्रार्थीया के नाम लिखकर देवें ताकि अप्रार्थी उक्त मकान को खुर्द – बुर्द कर सकें। प्रार्थीया के पुत्र सुरेन्द्र भाटिया मृत्यु की दिनांक पर प्रार्थीया अपनी पूत्री के यहाँ गई हुई थी, सूचना मिलने पर प्रार्थीया कोटा आई, लेकिन शौक के 12 दिवस में भी अप्रार्थीगण ने प्रार्थीया व तीनो पुत्रियों के साथ लडाई झगडा व गाली–गलोच की, और ऐन–केन–प्रकारेन अप्रार्थीगण प्रयासरत रहे कि प्रार्थीया व उसकी पुत्रियाँ घर छोड दें, और उक्त मकान पर कब्जा कर उक्त मकान को खुर्द–बुर्द कर दे, जबकि उक्त मकान प्रार्थीया के पति की सम्पत्ति हैं, और, नल–बिजली के बिल भी प्रार्थीया के पति के नाम हैं, प्रार्थीया के पुत्र सुरेन्द्र भाटिया की मृत्यु के पश्चात् अप्रार्थीगण के उक्त कुरतापूर्ण व्यवहार पर प्रार्थीया ने उक्त मकान के मिल्कियत दस्तावेज की मांग की, तो अप्रार्थीगण ने देने से मना कर दिया, और कहा कि उक्त मकान से प्रार्थीया को बेदखल कर मकान को खुर्द–बुर्द करेंगे, इस प्रकार अप्रार्थीगण ने मकान के मिल्कियत दस्तावेज भी खुर्द –बुर्द कर रखे हैं। प्रार्थीया के पुत्र की मृत्यु के पश्चात् अप्रार्थीगण के उक्त आचरण, कृत्य व उनके द्वारा जान से मरने की धमकी देने के कारण प्रार्थीया समय –समय पर अपनी पुत्रियों के साथ भी निवास करती हैं, लेकिन जब भी उक्त मकान पर आती हैं, तो अप्रार्थीगण ऐन–केन–प्रकारेण प्रार्थीया को बेदखल करने पर आमादा रहते हैं, चूकिं प्रार्थीया 81 वर्षीय वृद्ध महिला हैं, स्वंतत्र रूप से चलने–फिरने में असमर्थ हैं, और ना ही अपनी दिनचर्या करने में समर्थ हैं, चूकिं अप्रार्थीगण प्रार्थीया के साथ लड़ाई झगडा करते हैं. और प्रार्थीया के खान–पीन, दवा–दारू आदि की व्यवस्था नही करते हैं, प्रार्थीया को किसी भी प्रकार का खर्चा आदि नही देते है। इसी कारण प्रार्थीया मजबूरी में अपनी पुत्रियों के यहाँ आती–जाती रहती है। अप्रार्थीगण के द्वारा उक्त मकान के स्वामित्व दस्तावेज मांगने पर भी नही देने, तथा मकान को खुर्द–बुर्द करने की धमकी देने पर प्रार्थीया को मजबूरन न्यायालय में विभाजन का वाद प्रस्तुत करना पड़ा, जो कि वर्तमान में लम्बित है। दिनांक– 09.02.2023 को प्रार्थीया व उसकी पुत्री रूकमणी गांधी, दामाद राजीव गांधी एवं रिश्तेदार के मकान में सार–संभल करने गई, जिस पर अप्रार्थीगण ने प्रार्थीया व उसकी पुत्री–दामाद को मकान में प्रवेश नही करने दिया, लडाई झगडा किया, व धक्का–मुक्की की, और

न्यायालय उपखण्ड

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

धमकी दी कि यदि मकान में प्रवेश किया तो जान से खत्म कर देंगे। प्रार्थीया 81 वर्षीय विधवा महिला हैं, उक्त सम्पत्ति प्रार्थीया के पति की अर्जित सम्पत्ति है। अप्रार्थीगण, प्रार्थीया वरिष्ठ नागरिक के साथ सम्पत्ति को हडपने की नियत से शारीरिक, मानसिक यातनायें व कुरतापूर्ण व्यवहार एवं जान से मारने की धमकी एवं सम्पत्ति को खुद–बुर्द करने पर आमादा हैं। जिसके कारण प्रार्थीया भयभीत हैं। प्रार्थीया को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अप्रार्थीगण को उक्त मकान से बेदखल करायें, तथा उन्हे पाबन्द करवाये कि वह प्रर्थीया को उक्त मकान में आने–जाने, उपयोग–उपभोग करने व प्रार्थीया की पुत्रियो को उक्त मकान में आने से नही रोके। इस कारण प्रार्थीया के पास उक्त परिवाद प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नही है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विनय है कि अप्रार्थीगण को उक्त मकान से बेदखल किया जावें। तथा उन्हे पाबन्द करवाये कि वह प्रार्थीया को उक्त मकान में आने–जाने, उपयोग–उपभोग करने व प्रार्थीया की पुत्रियो को उक्त मकान में आने से नही रोके। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी हों, वह भी प्रार्थीया को दिलवाई जावें।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। बाद तलबी अप्रार्थीगण उपस्थित। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया गया है कि स्व. हासानन्द भाटिया ने अपने जीवन काल में किसी प्रकार की कोई सम्पत्ति अर्जित नही की है शेष तथ्य विशेष कथन में अंकित है। प्रार्थीया किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी नही है । और प्रार्थीया व अप्रार्थीगण के मध्य एक सिविल वाद विभाजन हेतु माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्रम–3 कोटा विचाराधीन है जिसमें दिनांक 03.08.2022 को माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्रम– 3 कोटा द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा का पारित किया जा चुका है। यदि श्रीमान उपखण्ड अधिकारी या उपखण्ड मजिस्ट्रेट के द्वारा किसी प्रकार का कोई निर्णय उक्त प्रार्थना पत्र पर पारित किया गया तो विरोधाभासी निर्णय होने की सम्भावना कारित हो सकती है। आप्रार्थी संख्या –1 एकल विधवा महिला है जो येन केन प्रकारेण अपने पति के गुजर जाने के पश्चात् अपना अपने बच्चो का गुजर बसर

कर रही है। इसके विपरीत प्रार्थीया एक पेंशनभोगी महिला है जो हर प्रकार से अपना भरण पोषण व जीवन यापन करने में समर्थ है। प्रार्थीया आज से चार वर्ष पूर्व तक अप्रार्थीगण के साथ आप्रार्थीगण के पति व पिता स्व. श्री सुरेन्द्र भाटिया के क्रयशुदा मकान 37–सी, न्यू आकाशवाणी कोलोनी, राजेन्द्र विहार, चक्रीबड़ बालाजी के पास, जिला कोटा राजस्थान में निवास करती आ रही थी और अप्रार्थीगण के पति व पिता स्व, सुरेन्द्र भाटिया वर्ष 2003 तक विदेश में ही कार्य करते थे इस कारण अप्रार्थी क्रम––1 के एकल महिला होने और घर में दो छोटे बच्चे अप्रार्थी क्रम–2 व 3 होने के कारण अप्रार्थीगण के पति व पिता स्व. सुरेन्द्र भाटिया द्वारा अपने माता पिता होने के कारण व घर के बड़े बुजुर्ग व जिम्मेदार सदस्य होने के कारण प्रार्थीया व स्व. श्री हासानन्द जी भाटिया अप्रार्थीगण के साथ अप्रार्थीगण के पति व पिता की स्वअर्जित आय से क्रय किये गये मकान में निवास करते थे। तथा उक्त सम्पत्ति अप्रार्थीगण के पति व पिता स्व. श्री सुरेन्द्र भाटिया द्वारा अपनी स्वअर्जित आय से क्रय किये जाने से प्रार्थीया किसी भी प्रकार का कोई विधिक अधिकार उक्त सम्पत्ति में नही रखती है। तथा उक्त सम्पत्ति अप्रार्थीगण के पति व

न्यायालय उपखण्ड कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

पिता स्व. श्री सुरेन्द्र भाटिया की एकमात्र सम्पत्ति है तथा अप्रार्थी क्रम–1 एकल विधवा है जो अपने दोनो बच्चों अप्रार्थी क्रम– 2 व 3 के साथ येन केन प्रकारेण अपना गुजर बसर कर रही है तथा अप्रार्थीगण की आय का वर्तमान में कोई साधन नही है। यदि प्रार्थीया के पक्ष में व अप्रार्थीगण के विरूद्ध आदेश पारित किया गया तो अप्रार्थीगण के भुखे मरने की नौबत आ जाएगी व दर दर की ठोकरे खाने को मजबूर हो जाएंगे। दिनांक 03.05.2017 को प्रार्थीया के पति स्व. श्री हासानन्द जी का निधन हो गया तब से लेकर प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण के साथ ही निवास किया तथा प्रार्थीया की देखरेख, सार सम्भाल अप्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पति व पिता स्व. सूरेन्द्र भाटिया द्वारा की गई। लेकिन चार वर्ष पूर्व जब प्रार्थीया की तबीयत बिगड़ गई थी, उस वक्त अप्रार्थीगण ने प्रार्थीया की सेवा सुश्रसा की तथा उसी दौरान प्रार्थीया की पुत्रियां प्रार्थीया को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गई। विगत चार वर्षो से प्रार्थीया अपनी पुत्रियों के साथ ही निवास कर रही है और अप्रार्थीगण के पति व पिता द्वारा प्रार्थीया से कई दफा अपने साथ आकर निवास करने हेतु भी कहा गया किन्तु प्रार्थीया की पुत्रियों ने प्रार्थीया को इस कदर बरगला रखा है कि प्रार्थीया अप्रार्थीगण के साथ निवास नही कर रही है। और प्रार्थीया के पति स्व. श्री हासानन्द भाटिया के नाम लिये गये नल लाईट के कनेक्शन के बिल का दुरूपयोग करते हुए प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थीगण के पति व पिता स्व. श्री सुरेन्द्र भाटिया की मृत्यु के उपरांत उक्त झूठा मुकदमा मकान हड़पने की गरज से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है जबकि अप्रार्थीगण के पति व पिता स्व. श्री स्रेन्द्र भाटिया की एक सादा कागज पर अंतिम इच्छा भी अप्रार्थीगण के पास मौजूद है। दिनांक 27.07. 2021 को अप्रार्थीगण के पति व पिता स्व. श्री सुरेन्द्र भाटिया का निधन हो गया जिनके निधन के उपरांत बारहवें के प्रोग्राम जो कि मृत्यु के पांचवे दिन ही कर दिया गया था हेतु प्रार्थीया व उसकी पुत्रियां जो कि अप्रार्थीगण के पति व पिता स्व. श्री सुरेन्द्र भाटिया के क्रयशुदा व कब्जेशुदा मकान पर आई हुई थी। और अप्रार्थी क्रम–1 द्वारा जब बारहवे के प्रोग्राम के पश्चात् प्रार्थीया से कहा गया कि प्रार्थीया अपने लॉकर में रखा हुआ अप्राथ्थी क्रम–1 का सोना व अन्य कीमती सामान जिसमें उक्त मकान के असल दस्तावेज भी मौजूद है लौटा दे तो प्रार्थीया व उसकी पुत्रियों ने अप्रार्थीगण को धमकाया कि तुम हमें इस मकान में हिस्सा दोगे तभी हम तुम्हे तुम्हारा सोना और इस मकान के असल दस्तावेज लोटाएंगे नही तो तुम पर झूठा केस कर देंगे और तुम्हारे चालीस पचास तोला सोना और अन्य कीमती सामान जो लोकर में रखे हुए हैं को खुर्द बुर्द और बेचान कर देंगे। अप्रार्थीगण के पति व पिता स्व श्री सुरेन्द्र भाटिया के स्वर्गवास के पश्चात् प्रार्थीया व उसकी पुत्रियों के मन में लालच आ गया और आये दिन अप्रार्थीगण को धमकाने लगे तथा अप्रार्थीगण के पति व पिता स्व. श्री सुरेन्द्र भाटिया के खरीदशुदा मकान को हड़पने की कोशिश करने लगे । अप्रार्थीगण द्वारा विरोध किया तो प्रार्थीया ने अपनी पुत्रियों के बहकावे में आकर झूठे तथ्यों पर आधारित यह परिवाद प्रस्तुत कर दिया। एवं एक अन्य प्रकरण उक्त सम्पत्ति के विभाजन बाबत् अपर जिला न्यायाधीश क्रम–3 कोटा मे प्रस्तृत किया जो कि विचाराधीन है। अप्रार्थीगण के पति व पिता स्व. श्री सुरेन्द्र भाटिया ने उक्त मकान विदेश में निवास करने के दौरान अपनी स्वअज्जित आय से क्रय किया है। तथा उक्त मकान सम्पूर्ण निर्माण कार्य भी अप्रार्थीगण के पति व पिता

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

स्व. श्री सुरेन्द्र भाटिया के द्वारा ही किया गया है। इस कारण प्रार्थीया को अप्रार्थीगण को उक्त मकान से बेदखल करने व पांबद करने का अधिकार प्राप्त नही है। इस कारण परिवाद खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीया आत्मा देवी एक पेंशनभोगी महिला है तथा प्रार्थीया के तीन विवाहित पुत्रियां है जो बालिग है और प्रार्थीया की समस्त पुत्रियां आर्थिक रूप से सुदृढ़ है इस कारण उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थीया आत्मादेवी की समस्त पुत्रियों को भी पक्षकार बनाया जाना न्यायहित में नितांत आवश्यक है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 जैसे तैसे स्वयं का भरण पोषण कर पा रहे है तथा प्रार्थीया व उसकी पुत्रियों द्वारा अप्रार्थीगण को आए दिन हैरान व परेशान किया जा रहा है तथा अप्रार्थीगण के पति/पिता की मृत्यु के पश्चात से ही अप्रार्थीगण की आर्थिक स्थिति भी सही नहीं है इस कारण प्रार्थीया मनगढन्त झूठे तथ्यों के आधार पर यह परिवाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। जो कि खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया द्वारा पेश किये गए परिवाद को सव्यय खारिज फरमाया जावे।

तत्पश्चात पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई। प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण की ओर को बहस हेतु पर्याप्त अवसर दिये गए परन्तु प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण की ओर से बहस नहीं की गई अतः बहस का अवसर बंद किया जाता है।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया गया। बाद अवलोकन यह निष्कर्ष निकलता है कि उभय पक्षकारान के मध्य घरेलू हिंसा एवं सम्पत्ति के प्रकरण अन्य सिविल न्यायालयों में जैरकार है जिस कारण प्रकरण सम्पत्ति के विवाद एवं पारिवारिक हिंसा से संबंधित होना पाया जाता है जिसकी पुष्टि पत्रावली में संलग्न फर्द दस्तावेजों के अवलोकन से होती है। प्रार्थीया की ओर से माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्रम सं0 3 कोटा राज0 के आदेश प्रार्थना पत्र वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 03.08.2022 की प्रति पेश की है जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थीया के पक्ष में प्रार्थीया को मकान 37 सी, न्यू आकाशवाणी कोलोनी, राजेन्द्र विहार, चकीबड़ बालाजी के पास, कोटा से बेदखल नही किये जाने का पारित किया हुआ है। अप्रार्थीगण माननीय सिविल न्यायालय के फेसले से पाबन्द है। अप्रार्थीगण माननीय सिविल न्यायालय के आदेश की पालना सुनिश्चित करें। भरण पोषण के तहत प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार कर आदेश दिए जाते है कि अप्रार्थीगण प्रार्थीया को उक्त मकान में आने जाने, उपयोग उपभोग करने व प्रार्थीया की पुत्रियों को उक्त मकान में आने से नहीं रोके।

उक्त निर्णय आज दिनांक ....13/10/25.... को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

न्यायालय उपखण्ड कोटा